राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकएफ.11(3)मो./मनरे. कन्व. बजट–घोषण 16/आईसीडीएस/2016–17/46142 जयपुर दिनांक: 23.3.2017

प्रेषक :–
विशिष्ठ शासन सचिव,
समेकित बाल विकास सेवॉए
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :–
निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कन्वर्जेन्स के तहत आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु किश्त की राशि ज़िला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करने की प्रशासनिक स्वीकृति बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2016–17 के अनुसार किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण किये जाने है, जिसके लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कन्वर्जेन्स के तहत जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल 2000 आंगनबाड़ी केन्द्र में से द्वितीय चरण के लिए 1000 आंगबनाडी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं द्वारा राशि रू. 1.50 लाख की प्रथम किस्त कुल राशि रू. 1499.50 लाख (अक्षरे रूपये एक हजार चार सो निन्यानवें लाख पचास हजार रु मात्र) उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति संलग्न परिशिष्ठ–1 के अनुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

जिला परिषदों को स्वीकृत राशि का उपयोग उपरोक्तानुसार जिलों में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण मनरेगा कन्वर्जेन्स के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.02.2016 जारी गाईडलाईन के तहत भवन निर्माण किया जायेगा (प्रति संलग्नानुसार)। यह स्वीकृति भारत सरकार की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 31.05.2016 के क्रम में जारी की जा रही है। जिसके द्वारा प्रति आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु समेकित बाल विकास सेवाएं की राशि 2.00 लाख रूपये अधिकतम निर्धारित की गई है, केन्द्र व राज्य की हिस्सेदारी 60:40 की है। नरेगा मद से 5.00 लाख रूपयें राशि व्यय की जायेगी।

इन भवन निर्माण कार्यो हेतु शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय जयपुर के पत्रांक एफ.40(79)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स–आ.बा.भवन/2014–15 दिनांक 10.11.2015 को जारी परिपत्र के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की योजना के साथ कन्वर्जेन्स (अभिसरण) के माध्यम से आंगनबाडी भवन निर्माण दिशा निर्देशानुसार भवन निर्माण कराया जावें।
2. आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु एक सुझावात्मक ड्राफ्ट टाइप डिजाइन संलग्न है। जिसमें स्थानीय आवश्यकता तथा अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। निर्माण में विभागीय लाभार्थियों (बच्चो, गर्भवती व धात्री माताओं) की सुविधा व आवश्यकता को विशेष ध्यान में रखें।
3. आंगनबाडी भवन निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार इकाई लागत के अनुरूप करवाये जाएंगे, तथा आंगनबाडी केन्द्रो पर पेयजल एवं शौचालय सुविधा हेतु 14– वें वित्त आयोग एवं स्वच्छ भारतकोश द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अनुदान की राशि का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत के स्तर पर कराने की आवश्यक कार्यवाही की जावें ।
4. आंगनबाडी भवनो का निर्माण कार्य जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी होने से 6 माह में निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।
5. आंगनबाडी भवन निर्माण उन्हीं स्थानों पर करवाया जा सकेगा, जिनकी सूची उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ प्रमाणित कर जिला परिषदों को उपलब्ध करवायेगे। प्राप्त हुए निःशुल्क भूमि के पट्टे पर निर्माण से पूर्व आवंटित भूमि के स्थल का संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी से मौका मुआयना कराने तथा विभागीय आवश्यकता व शर्तो के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे तथा जिस स्थान का प्रमाण पत्र दिया गया है, उसी स्थान पर निर्माण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। यहा यह भी सुनिश्चित किया जाये जिस केन्द्र के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हो रहा है वह किराये के भवन में संचालित होना चाहिए।

6. इस प्रयोजनार्थ उपयोग में ली गई राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ को भिजवाये जाने होगे। भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त की राशी प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जारी की जावेगी।
7. इस राशि के व्यय के पश्चात जिला परिषद राशि के अंकेक्षित लेखे एवं जिस कार्य हेतु राशि दी गई है, उसी कार्य में उपयोग लिये जाने का प्रमाण–पत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विभाग को भिजवायें। जिला परिषद नियमित रूप से योजना का प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में प्रतिमाह भिजवायेगे। साथ ही जो भी सूचना राज्य सरकार द्वारा चाही जावे, उपलब्ध करवायेगे।
8. जिला परिषद द्वारा इस योजना के लिए पृथक–पृथक लेखे रखे जावेगे। जिसकी महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा जांच की जा सकेगी। मासिक व्यय विवरण प्रतिमाह निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
9. भवन का कब्जा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मय खिडकी, दरवाजे, रंग, पुताई, फर्श आदि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही प्राप्त किये जा सकेगे।
10. आंगनबाडी भवन निर्माण की गुणवत्ता तथा नियत अवधि तक कार्यशीलता का उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा। सामान्यतः भवन का जीवनकाल (Self Life) सौ वर्ष माना गया है। इससे पहले अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त भवन के पूर्णतः अनुपयोगी होने तथा क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में निर्माणकर्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी व भवन की मरम्मत का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई डी संख्या 101701319 दिनांक 17.03.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। इस राशि का उपयोग हेतु RTPPA की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

विशिष्ट शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकएफ.11(3)मो./मनरे. कन्व. बजट–घोषणा 16/आईसीडीएस/2016–17/46143–222 जयपुर दिनांकः 23.3.2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), लेखा परीक्षा–प्रथम, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास /पंचायतीराज विभाग सचिवालय,
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, मुख्यालय, राज. जयपुर।
8. आयुक्त , महिला अधिकारिता विभाग, जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
9. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बन्धित जिला कोषालय को परिशिष्ट 1 में विवरणानुसार राशि रूपये 1499.50 लाख (अक्षरे राशि रू. एक हजार चार सो निन्यानवें लाख पचास हजार रु मात्र) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करवाये जाने की स्वीकृति शीघ्र प्रसारित कर सूचित करने का श्रम करावें।
10. समस्त जिला कलक्टर।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, राज. जयपुर।
12. निकासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
14. ACP को विभागीय वेब साईट पर अपलोड हेतु।
15. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान।
16. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

प्रत्येक जिले मे मदवार आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति

(राशि लाखो में)

क्र.स.	जिले का नाम	महानरेगा कन्वर्जेन्स के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रथम किश्त के रुप में 1.50 लाख रूपये प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों (ग्रा.वि.प्र) के पीडी खातो में हस्तान्तरित की जाने वाली राशि बजट मदवार												स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या	कुल राशि		
		सामान्य मद 4236—02—800—09—00—17 वृहद निर्माण कार्य				एससीएसपी 4236—02—789—01—00—17 वृहद निर्माण कार्य				टीएसपी 4236—02—796—01—00—17 वृहद निर्माण कार्य							
		स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या	केन्द्र मद	राज्य मद	योग	स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या	केन्द्र मद	राज्य मद	योग	स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या	केन्द्र मद	राज्य मद	योग		केन्द्र मद	राज्य मद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	अजमेर	32	28.80	19.20	48.00	8	7.20	4.80	12.00	0	0.00	0.00	0.00	40	36.00	24.00	60.00
2	अलवर	8	7.20	4.80	12.00	2	1.80	1.20	3.00	0	0.00	0.00	0.00	10	9.00	6.00	15.00
3	बॉसवाडा	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	125	112.50	75.00	187.50	125	112.50	75.00	187.50
4	बारा	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5	बाडमेर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	भरतपुर	10	9.00	6.00	15.00	4	3.60	2.40	6.00	0	0.00	0.00	0.00	14	12.60	8.40	21.00
7	भीलवाडा	23	20.70	13.80	34.50	9	8.10	5.40	13.50	0	0.00	0.00	0.00	32	28.80	19.20	48.00
8	बीकानेर	0	0.00	0.00	0.00	2	1.80	1.20	3.00	0	0.00	0.00	0.00	2	1.80	1.20	3.00
9	बूदी	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
10	चितौडगढ	8	7.20	4.80	12.00	4	3.60	2.40	6.00	0	0.00	0.00	0.00	12	10.80	7.20	18.00
11	चुरू	19	17.10	11.40	28.50	6	5.40	3.60	9.00	0	0.00	0.00	0.00	25	22.50	15.00	37.50
12	दौसा	4	3.60	2.40	6.00	1	0.90	0.60	1.50	0	0.00	0.00	0.00	5	4.50	3.00	7.50
13	धौलपुर	4	3.60	2.40	6.00	1	0.90	0.60	1.50	0	0.00	0.00	0.00	5	4.50	3.00	7.50
14	डूंगरपुर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
15	श्रीगंगानगर	46	41.40	27.60	69.00	8	7.20	4.80	12.00	0	0.00	0.00	0.00	54	48.60	32.40	81.00
16	हनुमानगढ	16	14.40	9.60	24.00	6	5.40	3.60	9.00	0	0.00	0.00	0.00	22	19.80	13.20	33.00
17	जयपुर	139	125.10	83.40	208.50	31	27.90	18.60	46.50	0	0.00	0.00	0.00	170	153.00	102.00	255.00
18	जैसलमेर	23	20.70	13.80	34.50	5	4.50	3.00	7.50	0	0.00	0.00	0.00	28	25.20	16.80	42.00
19	जालौर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
20	झालावाड	60	54.00	36.00	90.00	2	1.80	1.20	3.00	0	0.00	0.00	0.00	62	55.80	37.20	93.00
21	झुन्झुनू	33	29.70	19.80	49.50	7	6.30	4.20	10.50	0	0.00	0.00	0.00	40	36.00	24.00	60.00
22	जोधपुर	22	19.80	13.20	33.00	8	7.20	4.80	12.00	0	0.00	0.00	0.00	30	27.00	18.00	45.00
23	करोली	15	13.50	9.00	22.50	5	4.50	3.00	7.50	0	0.00	0.00	0.00	20	18.00	12.00	30.00
24	कोटा	16	14.40	9.60	24.00	4	3.60	2.40	6.00	0	0.00	0.00	0.00	20	18.00	12.00	30.00
25	नागौर	23	20.70	13.80	34.50	7	6.30	4.20	10.50	0	0.00	0.00	0.00	30	27.00	18.00	45.00
26	पाली	32	28.80	19.20	48.00	6	5.40	3.60	9.00	0	0.00	0.00	0.00	38	34.20	22.80	57.00
27	प्रतापगढ	8	7.20	4.80	12.00	2	1.80	1.20	3.00	0	0.00	0.00	0.00	10	9.00	6.00	15.00
28	राजसमन्द	38	34.20	22.80	57.00	12	10.80	7.20	18.00	0	0.00	0.00	0.00	50	45.00	30.00	75.00
29	सवाई माधोपुर	40	36.00	24.00	60.00	9	8.10	5.40	13.50	0	0.00	0.00	0.00	49	44.10	29.40	73.50
30	सीकर	32	28.80	19.20	48.00	10	9.00	6.00	15.00	0	0.00	0.00	0.00	42	37.80	25.20	63.00
31	सिरोही	15	13.50	9.00	22.50	5	4.50	3.00	7.50	0	0.00	0.00	0.00	20	18.00	12.00	30.00
32	टोंक	22	19.80	13.20	33.00	8	7.20	4.80	12.00	0	0.00	0.00	0.00	30	27.00	18.00	45.00
33	उदयपुर*	15	13.20	8.80	22.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	15	13.20	8.80	22.00
	कुल योग	703	632.40	421.60	1054.00	172	154.80	103.20	258.00	125	112.50	75.00	187.50	1000	899.70	599.80	1499.5

*उदयपुर जिले को 14 आंगनबाडी केन्द्रों के लिए 1.5 लाख प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र एवं 1 आंगनबाडी केन्द्र के लिए 1 लाख रूपये की राशि हस्तान्तरित की जा रही है शेष राशि आगामी किश्त में जारी की जायेगी।

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(80)वित्त–1(1)आय.व्य/2015 जयपुर, दिनांक : 24 मार्च, 2017

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या–901/2016–17)

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषदों के पी.डी. खातों में राशि रुपये 1499.50 लाख का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विशिष्ठ शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाऐं राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ. 11(3)मो./मनरे.कन्व. बजट घोषणा 16/आईसीडीएस/ 2016–17/46142 दिनांक 23.03.2017 में अंकित शर्तो एवं साथ सलंग्न सारणी के अनुसार संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रू. 1499.50 लाख (अक्षरे रूपये चौदह करोड़ निन्यानवे लाख पचास हजार मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावें:–

माँग संख्या	बजट शीर्ष	(राशि लाखों में)
33	4236 – पोषण पर पूंजीगत परिव्यय 02 – पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 800 – अन्य व्यय (09) – आंगन बाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत 17 – वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	1054.00
51	789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ठ संघटक योजना (01) – आंगन बाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत 17 – वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	258.00
30	796 – जन जातीय क्षेत्र उप योजना (01) – आंगन बाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत 17 – वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	187.50
	योग	1499.50

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चो के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेंगा।

भवदीय,

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा–प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव,एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाऐं विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं विभाग, राज., जयपुर।
5. विशिष्ठ शासन सचिव,वित्त (व्यय–II) विभाग, जयपुर ।
6. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)।
7. अतिरिक्त निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग,जयपुर।
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

कमरा नं. 5137, वित्त (आय–व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
दूरभाष नं. 0141–5153222 आई.पी. नं.–24452, फैक्स नं. 0141–2227799
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in